भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

Office Order No. 10 of 2021

National Cyber Security Strategy

The current pandemic has introduced a greater reliance on electronic modes of communication in official working. It is, therefore, necessary that all officials take responsibility and follow adequate procedures when using Information Technology (IT) infrastructure for ensuring confidentiality, privacy, etc. in dealing with official information. This can be achieved to a great extent by following internet ethics, cyber hygiene and following best practices on use of IT equipment viz., Desktops, Laptops, Mobile devices, etc. While many Officials are aware of these and other related practices, there are still a number of officials who are unaware of the same.

A number of incidents have come to notice regarding breaches in various IT applications of IR. These incidents have seen a spike in recent times as electronic working gets further proliferated. While a majority of these are application related, there are also incidents which have occurred due to improper handling of the IT assets by the personnel in general.

Therefore, in order to create awareness and educate the employees, the Government of India, at the highest level, has decided that all Officers and Staff may be imparted a generic training in Cyber Security. Accordingly, C-DAC, an organization under the Ministry of Electronics & Information Technology, GoI, has been tasked with providing these trainings. Each training session will last 4 hours and the calendar for the same will be advised by C-DAC to the registered attendees.

In order to participate in these training sessions, the pre-requisites for getting registered are as follows:

- Registration on C-DAC's site - **www.isea.gov.in/get/**
- Only bonafide Government officials/staff are eligible to get registered.
- Registrations are to be done using official **gov.in/nic.in** email id only (email ID used for SPARROW/E-office); ***alternately***
- Officials not having gov.in mail id can use private email ids. However, they would need to scan and upload their Government Identity Cards.
- Please Choose "***Ministry of Railways***" in the drop down option for Departments
- The calendar of upcoming training schedules would be available on the ISEA site from where one can choose a session based on convenience.
- On successful registration, a link for joining the training session would be shared on the email ids registered with C-DAC **a day prior to the scheduled session**.
- On successful completion of the training module, C-DAC would be issuing a certificate also.

.../-

16.2.2021

- For further guidance, please visit **cert-rail.railnet.gov.in** (on Railnet only). For any queries, email can be sent to *ir[dash]infosec[at]gov[dot]in*.

All Unit Heads are advised to encourage the Officers and Staff working under their control to enroll and attend these training sessions. **On successful completion, the participation certificates may be placed in their respective service records.**

All Officers and Staff are requested to avail of this opportunity for enhancing Cyber Security Awareness.

This issues with the approval of Chairman & CEO, Railway Board.

No. A-20003/2/2020-RBCC
Dated : 16.02.2021

16.2.2021
(Rajnesh Singh)
Director ME (C&IS)

To,

All Officers and Staff of Board's Office and at Dayabasti, New Delhi.

Copy for information to:

PS/MR
PSO/PPS/PS to Chairman & CEO, M/Infra, M/TRS, M/O&BD and MF

Copy to :
General Manager/Director General
All Indian Railways/PUs & Equivalent, RDSO, NAIR, CTIs., etc.

VC/RLDA

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

2021 का कार्यालय आदेश सं.10

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कार्यनीति

मौजूदा वैश्विक महामारी से सरकारी कार्यप्रणाली में संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी सूचना को सम्हालने हेतु गोपनीयता, निजता आदि सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उपयोग करते समय पर्याप्त उत्तरदायित्व निभाएं और उचित कार्यविधिओं का अनुपालन करें। इसके लिए जहां तक हो सके, इंटरनेट नीतियों, साइबर हाइजीन का अनुपालन किया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों यथा डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों आदि के उपयोग में उत्तम पद्धतियों का अनुपालन किया जाए। हालांकि अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों को इन उपकरणों और इनसे संबंधित अन्य पद्धतियों के बारे में जानकारी है, तथापि अभी भी अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों को इनके बारे में जानकारी नहीं है।

भारतीय रेल के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनधिकृत पहुंच के बारे में अधिकांश घटनाओं का पता चला है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्यप्रणाली का प्रसार होने से हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश घटनाएं अनुप्रयोगों से संबंधित हैं फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो सामान्यत: कर्मचारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों को अनुचित ढंग से सम्हालने के कारण हुई हैं।

इसलिए, कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी देने के उद्देश्य से, उच्चतम स्तर पर भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा में सामान्य प्रशिक्षण दिया जाए। तदनुसार, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सी-डैक संगठन को यह कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र 4 घंटे का होगा और पंजीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके कैलेंडर से सी-डैक द्वारा अवगत कराया जाएगा।

इन प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने हेतु पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन किया जाए:

- सी-डैक की साइट **www.isea.gov.in/get/** पर पंजीकरण करना होगा।
- केवल सदाशयी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी ही पंजीकरण के लिए अर्हक होंगे।
- पंजीकरण में केवल सरकारी ईमेल आईडी **gov.in/nic.in** (स्पैरो/ई-ऑफिस के लिए प्रयुक्त ईमेल आईडी) का ही प्रयोग किया जाएगा। **वैकल्पिक रूप से**
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास **gov.in/nic.in** ईमेल आईडी नहीं है वे निजी ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल, उन्हें अपने सरकारी पहचान-पत्र स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- कृपया विभागों के लिए ड्रॉप डाउन में **'रेल मंत्रालय'** का विकल्प चुनें।

16.2.21

- आगामी प्रशिक्षण सत्रों का कैलेंडर आईएसईए की साइट पर उपलब्ध होगा, जहां से सुविधानुसार सत्र का चयन किया जा सकता है।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर प्रशिक्षण सत्र जॉइन करने के लिए **निर्धारित सत्र से एक दिन पहले** सी-डैक पर पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक लिंक शेयर किया जाएगा।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर सी-डैक की ओर से एक प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा।
- इसके बारे में और मार्गदर्शन के लिए कृपया **cert-rail.railnet.gov.in (केवल रेलनेट पर)** साइट देखें। किसी भी प्रकार की शंका के लिए **ir[dash]infosec[at]gov[dot]in** पर ईमेल भेज सकते हैं।

सभी इकाई अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वे उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण सत्रों में नाम दर्ज कराने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। **प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसका उल्लेख अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में किया जाए।**

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

इसे अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

16.2.2021

सं.ए-20003/2/2020-आरबीसीसी
दिनांक: 16.02.2021

(रजनेश सिंह)
निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (सी एंड आईएस)

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
निजी सचिव/रेल मंत्री
अध्यक्ष एवं सीईओ, सदस्य/इन्फ्रा., सदस्य/टीआरएस, सदस्य/ओ एंड बीडी और सदस्य वित्त

प्रतिलिपि प्रेषित:
महाप्रबंधक/महानिदेशक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां और समकक्ष, आरडीएसओ, एनएआईआर, केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान आदि।
उपाध्यक्ष/आरएलडीए